लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
094/2021 (GCMS 2021/384)	24.08.2021	15.09.2021

अनवान

श्री नरेश ठक्कर पिता श्री धैर्य कुमार ठक्कर 1, श्रीराम कॉलोनी, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 28.06.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 94/2021/(15.09)/948 दिनांक 24.08.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 15.09.2021 से पूर्व कर्मेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 15.09.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2021/1424 दिनांक 07.09.2021 से कर्मेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री नरेश ठक्कर द्वारा चाही गयी सूचना आवेदन दिनांक 28.06.2021

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

की सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 927 दिनांक 12.07.2021 से उपलब्ध करा दी है। आवेदक को दी गयी सूचना के पत्र की प्रति संलग्न है।

आवेदक ने चाही गयी सूचना में सूचना का विवरण यथा प्रकरण संख्या, दर्ज/निस्तारण दिनांक वर्ष आदि का विवरण अंकित नहीं किया है, जिससे आवेदक को सूचना का पूर्ण विवरण अंकित करने हेतु सूचित किया गया, आवेदक ने सूचना उपलब्ध नहीं करा यह अपील प्रस्तुत की है, अपील अपीलाण्ट सूचना के पूर्ण विवरण के अभाव में निरस्त योग्य है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2021/1424 दिनांक 07.09.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक/सू.अ./02021/927 दिनांक 12.07.2021 से उसके द्वारा वांछित सूचना का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>15.09.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)